(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)13/1999/ Kanawar Dated 1-2-2014 as required under Article 348(3) of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-13/1999/ Kanawar Dated Shimla-2, the 01 Feb, 2014

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 8 of the Punjab Wild Birds and Wild Animals Protection Act 1933 was issued vide Punjab Government Notification No. 70 GP 53/97 dated 28.02.1954, to declare **Kanawar Wildlife Sanctuary** comprising an area of 54.27 sq. km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition (Civil) No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, in respect of the Wildlife Sanctuaries and the National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas Intention Notification under section 18(1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 was issued vide Notification No.FFE-B-F(6)-11/2005 dated 28th July, 2010 to include an area of 59.30 sq. km to the existing on ground area of 62.49 sq. km of Kanawar Wildlife Sanctuary;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State Government to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, before issuance of the final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013 passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Kanawar Wildlife Sanctuary, an additional area of 59.30 sq. km is included and 14.50 sq. km area is excluded (comprising of 4 villages namely Grahan,Thunja, Kasol and Gauj) from the existing area on ground i.e. 62.49 of Kanawar Wildlife Sanctuary. The total area of 107.29 sq. km (62.49 sq. km + 59.30 sq. km – 14.50 sq. km) shall now constitute the Kanawar Wildlife Sanctuary after rationalization;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the Act ibid is pleased to declare the aforesaid area of 107.29 sq. km as **'Kanawar Wildlife Sanctuary'** with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment;

The limit of the Kanawar Wildlife Sanctuary shall be as under:

Sr. No	Name of WL Sanctuary	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of the **Kanawar Wildlife Sanctuary**
1.	**Kanawar Wildlife Sanctuary**	i) Kullu ii) Kullu (Wildlife)	**NORTH:** Boundary starts from Jail Nal and moves along boundary of R/4 Kasol C-VI-b and C-I up to 1800 mtrs., Contour line and then moves along 1800mtrs. contur line up to Grahan Gad and then moves upstream the Gad along the boundary of R/4 Kasol and moves along the boundary of Reona PF's C-II-b, C-II-a, C-II-d to

			separating the cultivation land of Garahan village then follows the boundary of Tilalotan PF via SOI bench mark 4056 mtrs., then downstream a tributary flowing to Dudhikhol Nal upto Near SOI bench mark 2838 mtrs. **EAST:** Boundary starts from confluence of tributary in Dhudhikhol Nal and then boundary moves upstream with other tributary flowing to Dudhi Khol then downstream along a tributary flowing Barthi Nal then upstream of Barthi Nal and boundary follows a path to Ujli Runi Thach and follows the ridge via SOI bench mark 4817 mtrs., upto Phanchi Galu 4636 mtrs.along path. **SOUTH**: Boundary starts from Phanchi Galu 4636 mtrs. moves along the ridge Ori dhar Rohni Dhar to SOI bench mark 4658 mtrs. then moves downstream a tributary that join Hamkha Nal near Beghlo Thach. Then it moves upstream with small tributary to SOI 4330 mtrs. then it goes along southern boundary of Reona PF SOI bench mark 3610 mtrs., Khauli Galu, 3715 mtrs., southern boundary of Kasol RF, SOI bench mark 4046 mtrs., 3889 mtrs, 4097 mtrs., Tiri Thunth, southern boundary of Muri PF, eastern boundary of Jaularang PF and joins Ursu Nal boundary moves just up stream with Ursu Nal upto confluence of small tributary then

			boundary moves up stream the tributary then moves along the eastern boundary of Searan PF SOI bench mark 3533 mtrs. then boundary moves down stream with a tributary following to Najan Gad. After confluence boundary moves upstream with Najan Gad upto SOI bench mark 3674 mtrs. **WEST:** Boundary starts from SOI bench mark 3674 mtrs. and moves down stream with a Nala flowing to Jaram Nal, SOI bench mark 1895 mtrs then boundary moves along the forest boundary of Muri PF, SOI bench mark 3286 mtrs. then moves down stream along with the Jail Nal upto the R/4 Kasol C-VI-b starting point of northern boundary.

This area is situated within the Geo-coordinates. **North** latitude 32^0 00' 21" N and longitude 77^0 18' 11" E, **East** latitude 31^0 54' 40" N and longitude 77^0 27' 03" E, **South** latitude 31^0 53' 25" N and longitude 77^0 24' 41" E, **West** latitude 31^0 57' 25" N and longitude 77^0 15' 04" E. This area falls on Survey of India topo sheet No. 52H/8 & 53E/5 of scale 1:50,000.

Area of the Kanawar Wildlife Sanctuary = 107.29 sq. km

By Order

TARUN SHRIDHAR
Principal Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above Dated Shimla-2 the 01 Feb, 2014

Copy forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.
11. Guard File.

(PRAKASHA NAND)
Under Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.
Ph. No.2880-818, Mob.9418455573

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्याः एफ.एफ.ई.–बी–एफ.(6)–13/1999/कनावर तारीख़ शिमला–2, 01 फरवरी 2014

अधिसूचना

पंजाब सरकार ने पंजाब वाइल्ड बर्डस एण्ड प्रोटैक्शन एक्ट, 1933 की धारा 8 के अधीन अधिसूचना संख्या 70 जी.पी. 53/97 तारीख 28–2–1954 द्वारा 54.27 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र कनावर वन्य जीव अभ्यारण्य के रुप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए न0 139/2010 इन रिट पिटिशन (सिविल) न0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमैंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ–I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्ज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में राज्य सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई–बी–एफ.(6)11/2005 तारीख 28 जुलाई, 2010 द्वारा कनावर वन्य जीव अभ्यारण्य के विद्यमान 62.49 वर्ग किलामीटर भू–क्षेत्र में 59.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18(1) के अधीन आशय अधिसूचना जारी की गई थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5–8–2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने से पूर्व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निदेश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रुप से अनुसरण किया गया है;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न0 155 (पहले आईए न0 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1–2–2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और कनावर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरुप कनावर वन्य जीव अभ्यारण्य के 62.49 वर्ग किलोमीटर के विद्यमान भू–क्षेत्र में 59.30 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है और उसमें से 14.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (जिसमें 4 गांवों नामतः ग्राहण, ठुन्जा, कसोल और गोज से समाविष्ट) को निकाल दिया गया है । युक्तिकरण के पश्चात् अब कनावर वन्य जीव अभ्यारण्य कुल 107.29 वर्ग किलोमीटर (62.49 वर्ग किलोमीटर + 59.30 वर्ग किलोमीटर –14.50 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र से गठित होगा ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण और इसे विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 107.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से कनावर वन्य जीव अभ्यारण्य के रुप में घोषित करती हैं ।

कनावर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

कम संख्या	वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम	घटक i) जिला ii) वन मण्डल	कनावर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं
1	कनावर	i) कुल्लू ii) कुल्लू (वन्य जीव) मण्डल	**उत्तरः** सीमा जैल नाल से आरम्भ होती हुई R/4 कसोल C–VI-b और C–I की सीमा के साथ–साथ 1800 मीटर कन्टूर लाईन तक और फिर 1800 मीटर कन्टूर लाईन के साथ–साथ ग्राहन गाड़ तक और उस के बाद नाले के साथ ऊपर की ओर आर/4 कसोल के साथ और उसके बाद रिओना संरक्षित वन क्षेत्र के C–II-b C–II-a C–II-b के साथ–साथ ग्राहन गांव की कृषि योग्य भूमि को विभाजित करते हुए उसके बाद टिलालोटन संरक्षित वन के साथ–साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 4056 मीटर से होती हुई नीचे की ओर छोटे नाले में जाती हुई जोकि दुदिखोल नाल में बहता है से होती हुई नजदीक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 2838 मीटर तक । **पूर्वः** सीमा छोटे नाले के दुदिखोल नाल के मिलान बिन्दु से आरम्भ होती हुई दूसरी ओर छोटे नाले में ऊपर की ओर जाती हुई

			फिर भरथी नाल में बहते हुए छोटे नाले में नीचे की ओर भरथी नाल के मिलान बिन्दु तक फिर भरथी नाल में ऊपर की ओर और उसके बाद सीमा रास्ते के साथ–साथ ऊजली रुनी थाच से होती हुई धार के साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 4817 मीटर से होती हुई फांची गलू 4636 मीटर तक रास्ते के साथ–साथ । **दक्षिण** : सीमा फांची गलू 4636 मीटर से आरम्भ हो कर ओरी धार के साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 4658 मीटर तक फिर नीचे की ओर मुड़ने के बाद छोटे नाले से जाती हुई हमखा नाल तक नजदीक भेगलो थाच उसके बाद छोटे नाले में ऊपर की ओर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 4330 मीटर तक उसके बाद रेओना संरक्षित वन की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 3610 मीटर, खोली गलू 3715 मीटर से होती हुई कसोल आरक्षित वन की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 4046 मीटर, 3889 मीटर, 4097 मीटर, तीरि थुन्थ से होती हुई मुरी संरक्षित वन की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ, जाऊलरंग संरक्षित वन की पूर्वी सीमा के साथ–साथ ऊरसू नाल तक । फिर सीमा ऊरसू नाल में ऊपर की ओर जाते हुए छोटे नाले के मिलान बिन्दु तक फिर छोटे नाले में सीमा ऊपर की ओर जाते हुए सिरन संरक्षित वन की पूर्वी सीमा के साथ–साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 3533 मीटर से होती हुई नाले में नीचे की ओर बहते हुए नाले के साथ–साथ नाजन गाड़ के मिलान बिन्दु तक उसके बाद नाजन नाले में ऊपर की ओर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 3674 मीटर तक ।

			पश्चिमः सीमा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 3674 मीटर से आरम्भ हो कर जारम नाल में बहते हुए एक नाले में नीचे की ओर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 1895 मीटर से होती हुई मुरी संरक्षित वन सीमा के साथ–साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 3286 मीटर से होती हुई फिर जैल नाल में नीचे की ओर R/4 कसोल C–VI-b व उत्तरी सीमा के प्रारम्भ बिन्दु तक ।

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितिः **उत्तर** अक्षांश 32^{0} 00′ 21″ उत्तर और देशान्तर 77^{0} 18′ 11″ पूर्व । **पूर्व** अक्षांश 31^{0} 54′ 40″ उत्तर और देशान्तर 77^{0} 27′ 03″ पूर्व । **दक्षिण** अक्षांश 31^{0} 53′ 25″ उत्तर और देशान्तर 77^{0} 24′ 41″ पूर्व और **पश्चिम** अक्षांश 31^{0} 57′ 25″ उत्तर और देशान्तर 77^{0} 15′ 04″ पूर्व। यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 52एच/8 और 53ई/5 (पैमाना 1:50000) पर दर्शाया गया है ।

कनावर वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल : 107.29 वर्ग किलोमीटर

आदेश द्वारा,

तरुण श्रीधर
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि।   दिनांक शिमला–2, 01 फरवरी 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश–शिमला–2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला–1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश–शिमला–1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल / अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।
11. गार्ड फाइल ।

(प्रकाश नन्द)
अवर सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष 2880818,मो.9418455573